

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ।

कार्यालय आदेश संख्या : 134

दिनांक : 11.8.15

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं संदर्भित नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित नियम का पालन करना पड़ता है एवं विभिन्न तरह की सूचनाएँ एवं प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होता है ।

उपरोक्त संदर्भ में यह देखने में आया है कि विभिन्न प्रयोक्ता अभिकरणों यथा – सरकारी एवं गैर सरकारी को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों एवं समय – समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्ग निर्देशों की जानकारी के अभाव में प्रस्ताव पर नियमतः कार्रवाई में विलम्ब होता है । कई बार यह भी धारणा बनती है कि वन अधिकारी वेवजह प्रस्ताव को रोकते हैं या इसमें विलम्ब करते हैं ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सभी प्रयोक्ता एजेन्सी के साथ एक कार्यशाला आयोजित की जाय, जिसमें उन्हें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं संदर्भित नियमावली के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी एवं प्रस्ताव को ऑन–लाईन समर्पण की प्रक्रिया से अवगत कराया जा सके । साथ ही साथ प्रस्ताव समर्पण में उन्हें हो रही कठिनाई की जानकारी भी विभागीय अधिकारियों को हो सके, जिससे कि इस कार्य में सामने आ रहे कठिनाईयों को दूर किया जा सके एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत समर्पित प्रस्तावों पर जल्द से जल्द नियम संगत कार्रवाई हो सके ।

यह कार्यशाला दिनांक 29.09.2015 को आयोजित करने का निर्णय हुआ है । आयोजन समिति पूर्व में इस कार्यालय के आदेश संख्या 10 दिनांक 11.02.2015 गठन की गई थी, जिसमें समिति द्वारा इस संदर्भ में ज्यादा प्रगति नहीं की जा सकी । अतः कार्यालय आदेश संख्या 10 दिनांक 11.02.2015 के द्वारा गठित संचालन समिति को अवकाशित किया जाता है एवं इस कार्यशाला के आयोजन समिति के लिए एक नई आयोजन समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है :—

1. श्री पी०सी० मिश्रा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी उत्तरी छोटानागपुर पलामू एवं हजारीबाग — अध्यक्ष
2. श्री वाई०के० सिंह चौहान, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची । — सदस्य
3. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड — सदस्य

[Signature]

4. श्रीमती दीक्षा कुमारी प्रसाद, वन संरक्षक,
योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अंचल, रांची — सदस्य
5. श्री आर०एल० बक्सी, वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
रांची वन प्रमण्डल, रांची । — सदस्य

समिति अपने कार्य में अन्य विभागीय अधिकारियों की सहायता भी ले सकेगी । समिति का कार्य निम्नवत् होगा :—

- (क) कार्यशाला की रूप — रेखा तैयार करना ।
- (ख) कार्यशाला में प्रस्तुतीकरण के लिए विभिन्न वक्ताओं द्वारा विशेष एवं वक्ताओं का चयन ।
- (ग) कार्यशाला हेतु आयोजन स्थल एवं समय इत्यादि का निर्धारण, Logistics व्यवस्था ।
- (घ) मुख्य अतिथियों इत्यादि के संबंध में अनुशंसा ।
- (च) अन्यान्य ।

इस अवसर पर विभाग द्वारा एक स्मारिका (Souvenir) भी प्रकाशित करने की योजना है । स्मारिका के प्रकाशन के लिए प्रकाशन समिति का गठन अलग कार्यालय आदेश द्वारा किया जा रहा है । यह भी निर्णय लिया गया है कि इस कार्य को एवं दिनांक 30.09.2015 को प्रस्तावित कार्यशाला का आयोजन झारखण्ड जू ऑथिरिटी के तत्वाधान में उनके माध्यम से कराया जाय । इस संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची सदस्य सचिव, झारखण्ड जू ऑथिरिटी को उचित निर्देश देंगे ।

उपरोक्त निर्देशानुसार आयोजन समिति एक रूप — रेखा तैयार कर लें । आयोजन समिति द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा दिनांक 14.08.2015 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में की जायेगी । सभी स्टेक होल्डर के साथ दिनांक 19.08.2015 को इस संबंध में वार्ता एवं विचार-विमर्श अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में प्रातः 11.00 बजे किया जायेगा । इस हेतु वांछित कार्रवाई एवं पत्र आयोजन समिति के सलाह से निर्गत करने की कार्रवाई वन प्रमण्डल पदाधिकारी, निर्देशन एवं प्रशासन करेंगे ।

R. B. Singh 11/8/15
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची ।

ज्ञापांक : 11E-19(4) 1/15 - 2631

दिनांक : 11.8.15

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक : 11E-19(4) 1/15 - 2631

दिनांक : 11.8.15

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक : 11E-19(4) 1/15 2631

दिनांक : 11.8.15

प्रतिलिपि ENVIS Centre, वन भवन, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।